अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

अभिलेख वाद संख्या– 258/19-2020(1)

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति

06/03/2020 वाद का प्रकार–बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एंव कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–2074/रा0, दिनांक–13.05.2016 सहपठित– श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या–3–खा0म0निति–119/85/2308/रा0, दिनांक–03.09.1985 एंव सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या–914/रा0, दिनांक–09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्ररम्भ की गयी। जाँच के कम में हल्का राजस्व कर्मचारी एंव अ0नि0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया हैं, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :–

मौजा– गोरगा, थाना नं0– 34, खाता संख्या– 21 प्लॉट संख्या– 74, रकबा– 0.48 एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि हैं, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–II के जिल्द संख्या– 1 के पृष्ठ संख्या– 175 पर जमाबंदी रैयत जानकी चौधरी पिता गुड़ा चौधरी के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एंव अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एंव निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता हैं, कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उघेश्य निजी लाभ एंव राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता हैं कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती हैं, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण–पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक– 20/03/2020 को उपस्थापित करें।

06/03/20

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

[illegible].03.2020	अभिलेख अवलोकित। [illegible] द्वारा निर्धारित तिथि पर आसामी पेशा / आसामी पैरवी के अभाव में [illegible] भूमि से सम्बन्धित किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही [illegible] पत्र ही रखा गया। अतः उक्त आसामी को अवैध मानते हुए इसे [illegible] ([illegible]) भूमि सुधार अधिनियम [illegible] की धारा [illegible] के तहत आसामी [illegible] हेतु संस्तुति की जाती है। अग्रिम कार्यवाही हेतु अभिलेख मूल में भूमि [illegible] को भेजें। [illegible] अधिकारी [illegible]